| | |
|---|---|
| | **अपील सूचना अधिकार संख्या 99/2020 (GCMS 2020/00170) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर**<br><br>**08.02.2021**<br><br>**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 11.06.2020 से तेरह बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे 1 से 11 बिन्दुओं की अपूर्ण जवाब दिया है इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित कर हर्जाना उसे दिलवाये जाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।<br><br>**मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो** पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:<br><br>1. ई.आर.ओ., श्रीगंगानगर के पत्रांक 1638 दिनांक 26.03.2018 में यह अंकित है कि सुभाष गोयल बी.एल.ओ. भाग संख्या 80 की चुनाव डयूटी दिनांक 06.04.2014 को निरन्तर थी, इसकी सूचना व प्रमाणित प्रति पत्र की।<br>2. वह आधार व पत्र जिस पर यह कथन किये कि सुभाष गोयल बीएलओ भाग संख्या 80 की डयूटी लोक सभा चुनाव 2014 में निरन्तर की, उसकी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति।<br>3. बीएलओ श्री सुभाष गोयल का यह कथन कि उसने दिनांक 05.04.14 से दिनांक 07.04.14 तक मुख्यालय छोडने की |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अनुमति बैंक प्रशासन से ली थी, इस बाबत सूचना व पत्र की व मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृती की प्रमाणित प्रति।

4. बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जिस दिवस जिस समय जिस अधिकारी को सम्बोधित करते हुए दी उसका नाम व पद की सूचना व उस अधिकारी के हस्तान्तरण की प्रमाणित प्रति व स्वीकृति की प्रमाणित प्रति, जिसने स्वीकृती आदेश जारी किया।
5. स्वीकृती आदेश जारी का पत्रांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु किये गये आवेदन पर मार्किंग करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व बैंक के प्राप्ति पजिंका का क्रमांक व दिनांक की सूचना व पत्र प्राप्ति पंजिका रजिस्टर व बीएलओ सुभाष गोयल के आवेदन की प्रमाणित प्रति।
7. बैंक के उस अधिकारी व कर्मचारी का नाम जिसमें पत्र प्राप्ति पंजिका पर मुख्यालय छोडने के आवेदन को प्राप्त किया व पत्र प्राप्ति पंजिका में दर्ज किया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. बैंक के उन अधिकारियों का नाम व पद की सूचना जिन्होने जिस अवधि के लिए, जिस पत्रांक के क्रमांक व दिनांक से जिस अधिकारी को जिस–जिस अवधि के लिए मुख्यालय छोडने की स्वीकृती बीएलओ को प्रदान की उसकी सूचना व स्वीकृति जारी करने की आदेश व पत्र की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

9. लोकसभा चुनाव में डयूटी पर कार्यरत बीएलओ श्री सुभाष गोयल को दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोडने की स्वीकृती जारी करने के निर्वाचन व बैंक प्रशासन के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
10. चुनाव डयूटी पर कार्यरत बैंक कर्मी को बैंक के प्रशासनिक नियत्रंण में रहते हुए, प्रशासनिक अधिकारी को कर्मकार के सम्बन्ध में जो अधिकार प्रशासनिक कार्यो हेतु प्राप्त है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
11. "बीएलओ पैतृक कार्यालय द्वारा सौंपे गये मूल पद के दायित्व का निवर्हन करते रहेंगे तथा सामान्य तौर पर प्रशासनिक विभाग के नियत्रंण में रहेंगे" पुस्तिका 2011 पृष्ठ सं0 4 बिन्दु संख्या –2 उपरोक्त कथन में बीएलओ मुख्यालय से बाहर जाने पर निर्वाचन कार्यो का निष्पादन करतें समय अवकाश जिस विभाग से लेकर जायेगा, बैंक से या निवार्चन विभाग से इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
12. चुनााव के निष्पादन के दौरान श्री सुभाष गोयल के पैतृक कार्यालय का जो–जो प्रशासनिक कार्य उसके व उसके अधिकारियो के नियत्रंण में होते है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
13. लोकसभा चुनाव 2014 में बीएलओ की सुभाष गोयल के कार्य निष्पादन की सूचना व उसकी हस्तलिखित रिपोर्ट की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/608 दिनांक 13.07.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

1. बिन्दु संख्या 1 में आप द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
2. बिन्दु संख्या 2 के क्रम में लेख हे कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो सूचना लोक प्राधिकरण के पास मौजूद है या उसके नियन्त्रण में है।
3. बिन्दु संख्या 3 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
4. बिन्दु संख्या 4 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
5. बिन्दु संख्या 5 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
6. बिन्दु संख्या 6 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
7. बिन्दु संख्या 7 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

8. बिन्दु संख्या 8 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
9. बिन्दु संख्या 9 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
10. बिन्दु संख्या 10 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
11. बिन्दु संख्या 11 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
12 बिन्दु संख्या 12 की सूचना दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है उक्त सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।
13. निर्वाचन विभाग द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार बीएलओ द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है। प्रत्येक भाग संख्या अनुसार रिकार्ड का संधारण पृथक–पृथक नही किया जाता है। सूचना का संकलन एवं सृजन इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में नही आता है।

**चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2020** के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 13.07.2020 को प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध जवाब दिया जा चुका है, जिसमे

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खाारिज करने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन** अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(महावीर प्रसाद वर्मा)**
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर